



2026:AHC-LKO:21286

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 443 वर्ष 2026

सतीश सिंह @ लाला सिंह

.....

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....

प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	:	भोला प्रसाद सिंह, डी.पी. दत्त
तिवारी		
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. कार्यालयीय प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2026 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामील हो चुकी है, तथापि अब तक उसकी ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति-हलफनामा अभिलेख पर लिया जाता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वे प्रत्युत्तर-हलफनामा दाखिल करना नहीं चाहते हैं।

4. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, वाद अपराध संख्या 375 वर्ष 2025 में, माननीय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है, जो कि धारा 316(2), 352, 351(4), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5), थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव से संबंधित है। अतिरिक्त रूप से, उक्त वाद अपराध में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु भी प्रार्थना की गई है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों के अनुसार, कथित घटना दिनांक 07.10.2025 की बताई गई है। यह कहा गया है कि परिवादी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपीलकर्ता के साथ एक लिखित समझौता किया था, जिसके अंतर्गत ₹3,00,000/- (रुपये तीन लाख) की राशि निवेश/ऋण के रूप में अपीलकर्ता को दी गई थी, जिस पर उसे समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान करना था, किन्तु उक्त समझौते का पालन नहीं किया गया। यह भी कहा गया है कि जब परिवादी अन्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 23.09.2025 को अपीलकर्ता के घर गई, तो वह वहां नहीं मिला। तत्पश्चात, उसकी पत्नी द्वारा अपीलकर्ता को दूरभाष पर संपर्क किया गया, जिस पर अपीलकर्ता ने वार्ता करते हुए समझौते की शर्तों का पालन करने से इंकार किया तथा परिवादी एवं उसके परिवारजनों को धमकी दी और जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी परिलक्षित होता है कि बाद में अपीलकर्ता की पत्नी एवं पिता ने भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिवादी एवं उसके परिवारजनों के प्रति जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तथा उन पर आक्रमण किया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साधारण अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के आवश्यक तत्व अपीलकर्ता के विरुद्ध स्थापित नहीं होते हैं, क्योंकि कथित जातिसूचक अपमान सार्वजनिक दृष्टि में किए जाने का कोई आरोप नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी एवं उसके परिवारजनों पर आक्रमण करने अथवा उन्हें चोट पहुंचाने का कोई आरोप अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं है। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता दिनांक 10.11.2025 से निरुद्ध है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक शुद्ध रूप से दीवानी विवाद को अनावश्यक रूप से आपराधिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रति-हलफनामे के आधार पर अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता को अभिरक्षा में लिया गया है तथा उसके उपरांत उसने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर एक स्वीकारोक्ति बयान दिया है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, इस स्तर पर वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना एवं साक्ष्य के अधीन, यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के जातिसूचक अपमान का कोई आरोप नहीं है। यह भी परिलक्षित नहीं होता कि उसके विरुद्ध परिवादी एवं उसके परिवारजनों पर आक्रमण करने अथवा उन्हें चोट पहुंचाने का कोई आरोप लगाया गया हो। अपीलकर्ता दिनांक 10.11.2025 से निरुद्ध है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवादित आदेश अपीलकर्ता की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरणों का समुचित मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है एवं दिनांक 24.11.2025 का आदेश निरस्त किया जाता है।

10. अतएव, उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त अपीलकर्ता/आवेदक **सतीश सिंह उर्फ लाला सिंह** को इस निर्देश के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जो न्यायहित में आरोपित की जा रही हैं:-

i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत/धमकाएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

(iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब बी.एन.एस.एस. की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलकर्ता/आवेदक उक्त उद्घोषणा में निर्दिष्ट तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

यदि कोई लंबित प्रार्थना पत्र हो, तो वह भी निस्तारित माना जाएगा।

न्यायमूर्ति मनीष माथुर

दिनांक: 25 मार्च, 2026

सुबोध/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।